प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अविनेश उर्फ अभिनेश पुत्र श्री राजेन्द्र नाथ, निवासी जनपद-फतेहपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-16469/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.04.2024) दिनांक-10.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अविनेश उर्फ अभिनेश पुत्र श्री राजेन्द्र नाथ, रमवां, थाना-थरियांव, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। **प्रथम केस** पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 22.11.1997 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर रायफल व बन्दूक से गोली मारकर मलखान सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। **द्वितीय केस** पिता की हत्या के मुकदमें की पैरवी किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 21.04.2005 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमन्चों से गोली मारकर शैलेन्द्र प्रताप सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु **प्रथम केस** बन्दी को एसटीनं0-01/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-08, फतेहपुर के आदेश दिनांक 28.02.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.04.2023 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। **द्वितीय केस** बन्दी को एसटी नं0-521/2005, 522/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 506 व 25 आर्म्स एक्ट में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-02, फतेहपुर के आदेश दिनांक 23.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.04.2023 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है तथा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम केस पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 22.11.1997 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर रायफल व बन्दूक से गोली मारकर मलखान सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय केस पिता की हत्या के मुकदमें की पैरवी किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 21.04.2005 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमन्चों से गोली मारकर शैलेन्द्र प्रताप सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा 02 वादों में जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अविनेश उर्फ अभिनेश पुत्र राजेन्द्र नाथ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अविनेश उर्फ अभिनेश (बन्दी संख्या-96/12) पुत्र श्री राजेन्द्र नाथ, निवासी जनपद-फतेहपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-153/2024/929(1)/22-2-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को क्रिमिनल अपील संख्या-3144-3145/2024 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-13374-75/2023 अभिनेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 19.07.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-153/2024/929/22-2-2024-17(290)/2024

दिनांक 23 सितम्बर, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अविनेश उर्फ अभिनेश पुत्र श्री राजेन्द्र नाथ, रमवां, थाना-थरियांव, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। **प्रथम केस** पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 22.11.1997 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर रायफल व बन्दूक से गोली मारकर मलखान सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। **द्वितीय केस** पिता की हत्या के मुकदमें की पैरवी किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 21.04.2005 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमन्चों से गोली मारकर शैलेन्द्र प्रताप सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु **प्रथम केस** बन्दी को एसटीनं0-01/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-08, फतेहपुर के आदेश दिनांक 28.02.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.04.2023 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। **द्वितीय केस** बन्दी को एसटी नं0-521/2005, 522/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 506 व 25 आर्म्स एक्ट में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-02, फतेहपुर के आदेश दिनांक 23.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.04.2023 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम केस पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 22.11.1997 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर रायफल व बन्दूक से गोली मारकर मलखान सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय केस पिता की हत्या के मुकदमें की पैरवी किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 21.04.2005 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमन्चों से गोली मारकर शैलेन्द्र प्रताप सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा 02 वादों में जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अविनेश उर्फ अभिनेश पुत्र राजेन्द्र नाथ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।